

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264
OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the Court of दिलीप पाटिल Magistrate न्यायिक
मजिस्ट्रेट Class प्रथम श्रेणी, सिरोंज CIS Sum No. 327/2022 CNR No
MP4008-001560-2022 Complaint or report made on 20-09-2022
Name and address of the complainant प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र
दीपनाखेडा

Name, parentage and address of accused
गोपाल केवट पुत्र श्री रामभरोसी केवट उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम
करैयाहाट, थाना दीपनाखेडा, जिला विदिशा (म0प्र0)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपने दिनांक 20.09.2022 समय 18:30 बजे स्थान नदी
की पुलिया के पास, ग्राम करैयाहाट लोकस्थल पर बिना वैध अनुज्ञप्ति
के एक झोले में देसी प्लेन मदिरा के 19 क्वाटर मदिरा अपने आधिपत्य
में रखी।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया जो कि धारा
34 (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होकर मेरे
संज्ञान में है। क्या आप दोषी होने का अभिवाक् करते हो या विचारण
चाहते हो ?

The Plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।
गोपाल

The offence proved, if any and in case under clause(d), clause(e),
clause (f) or clause (g) of subsection (i) of Section 260 the value of
the property in respect of which the offence has been committed.

✓

निर्णय

(आज दिनांक 12.10.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त गोपाल केवट के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है।
2. अभियुक्त के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का सारांश पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया।
3. अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया।
4. अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के दण्डनीय अपराध में अभियुक्त गोपाल केवट को दोषसिद्ध किया जाता है।
5. दोषसिद्ध अभियुक्त गोपाल केवट को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपए 500/- शाब्दिक रुपए पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
6. अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम पर दोषसिद्ध अभियुक्त गोपाल केवट को 05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जाए।
7. प्रकरण में जप्त संपत्ति एक 19 क्वाटर प्लेन मदिरा शराब मूल्यहीन होने से शराब भूमि पर फैलाकर नष्ट की जावें।

(दिलीप पाटिल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिरोंज, जिला विदिशा